अध्याय VI

सीपीएसई के संयुक्त उद्यम परिचालन

6.1 प्रस्तावना

संयुक्त उद्यम (जेवी) एक संविदात्मक व्यवस्था है जहाँ दो या उससे अधिक पार्टियां आर्थिक गतिविधि शुरू करती है, जो सयुक्त नियंत्रण[57] के अधीन है। उद्यमी संयुक्त उद्यम की एक पार्टी है और उस संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण होता है। जेवी तीन रूपों का हो सकता है। अर्थात संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई, संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन। संयुक्त उद्यम इकाई वह ईकाई होती है जो भारतीय कम्पनी अधिनिमय अथवा अन्य देश के संबंधित कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत है। ये इकाईयां देश के संबंधित कानूनों द्वारा शासित की जाती है जहाँ कम्पनी निगमित होती है। जेवी के अन्य रूप अर्थात संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन अनिगमित है, ये सहयोगियों के मध्य हस्ताक्षरित करार द्वारा शासित होते है।

6.2 संयुक्त उद्यमों पर सरकार की नीति

सरकार का सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम बताता है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहचानी हुई कम्पनियों होगी जिनके पास उन्हें वैश्विक दिग्गज बनने के उनके अभियान के लिए तुलनात्मक सुअवसर और समर्थन करेंगे। प्रतिस्पर्धी वातावरण में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) के परिचालन को सफल लाभदायक बनाने के लिए प्रबंधकीय और व्यावसायिक स्वयंशासन बनाने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (डीपीई) ने रणनीतिक गठबंधन या तकनीकी में प्रवेश के लिए अगस्त 2015 में भारत या विदेश में वित्तीय जेवी और पूर्णतया: स्वामित्व सहायक स्थापित करने के लिए नवरत्न पीएसई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की प्रत्यायोजित शक्तियों को बढ़ा दिया है। डीपीई ने (फरवरी 2010) पहचानी गई सीपीएसईज बडे आकार की नवरत्न सीपीएसईज बोर्ड की बढाई गई

---

[57] *संयुक्त नियंत्रण अधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के बट्वारे पर अनुबंधित सहमति व्यक्त करना है। नियंत्रण अधिक गतिविधि की वित्तिय और परिचालन नितियों को शासित करने की शक्ति से है ताकि इससे नाम प्राप्त किया जाए।*

शक्तियों[58] को प्रत्यायोजित करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) के लिए महारत्न योजना की शुरूवात की ताकि उनके परिचालनों के विस्तार की सुविधा दी जाए। घरेलु और साथ-साथ वैश्विक बाजार में दोनों महारत्न कम्पनियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग समय समय पर सीपीएसईज नवरत्न के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और दिशा निर्देशों के अधीन था। प्रत्यायोजित शक्तियों से अतिरिक्त निवेश शामिल करने के सभी प्रस्ताव आर्थिक मामलों (सीसीईए) पर केन्द्रीय समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने थे।

भारत में संयुक्त उद्यम/सहायकों को स्थापित करने के लिए मिनीरत्न, श्रैणी-I[59] के इक्विटी निवेश के अध्यधीन एक परियोजना में ₹ 100 करोड़ और 5 *प्रतिशत* की निवल शक्तियाँ दी गई। मिनीरत्म श्रैणी-II[60] के संबंध में, इक्विटी निवेश निवल कीमत के 5 *प्रतिशत* के अध्याधीन एक परियोजना में 50 करोड़ तक सीमित था। कुल निवेश दोनों श्रैणियों के अन्तर्गत पीएसई के संबंध में निवल कीमत के 5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्यों का पता लगाना था कि क्या:

- जेवी के गठन कार्यान्वयन और निकास के समय उचित परिश्रम किया गया था।
- प्रत्येक स्तर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों को पालन किया गया था।

6.4 जेवी की लेखा परीक्षा व्यवस्था

भारत के सीएजी जेवी का अनुपालन लेखा परीक्षा ओर वित्तीय लेखापरीक्षा का संचालन वहाँ करता है जहाँ इक्विटी के सरकारी कम्पनी के शेयर अन्य सरकारी कम्पनियो/कारपोरेशन के साथ या तो भिन्नरूप से या सम्मिलित रूप से प्रदत्त पूंजी के 51 *प्रतिशत* से ज्यादा है और जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। भारत के सीएजी के पास भारत से बाहर शामिल

---

[58] किसी मौद्रिक सीमा के बिना नयी मदों की खरीद पर या प्रतिस्थापना के लिए पूंजीगत व्यय करना, संयुक्त उद्यमों तकनीकों में प्रवेश अथवा रणनितिक गठबंधन, खरीद या अन्य प्रबंधो के द्वारा प्राप्त करना, तकनीक और जानकारी, भारत और विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्ययम स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश करना, बोर्ड स्तर से नीचे के पदों का निर्माण, घरेलु पूंजीगत बाजारो से डेबिट उठाना और अन्तराष्ट्रीय बाजारों आदि से शक्तियां बढाना।

[59] पीएसई को पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए था, पूर्व-कर लाभ में ₹ 30 करोड़ या उससे अधिक के तीन वर्षों में कम से कम एक होना चाहिए था और एक सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए।

[60] पीएसई को पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए था और इसके लिए सकारात्मक नेटवर्थ चाहिए।

जेवी के संबंध में अनुपालन लेखापरीक्षा अथवा वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं है। उसी प्रकार, कम्पनी अधिनियम 1956 या कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में सम्मिलित जेवी के संबंध में जहाँ सरकारी कम्पनी का शेयर या भिन्न रूप से अथवा संयोजित रूप में अन्य कम्पनियो/कॉरपोरेशन्स के साथ प्रदत्त पूंजी के 51 *प्रतिशत* से कम है और अनिगमित जेवी के मामले में, भारत के सीएजी के पास ऐसी जेवी के संबंध में अनुपालन लेखापरीक्षा अथवा वित्तीय लेखापरीक्षा करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं है।

6.5 लेखापरीक्षा व्यापकता

यह लेखापरीक्षा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत सीपीएसईज को कवर करता है। यहाँ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत 98 सीपीएसईज थी (मई 2017)। उनमें से, 46 सीपीएसईज के पास कोई जेवी नहीं है और उसी अनुसार 52 सीपीएसईज (7 महारत्न, 17 नवरत्न और 28 मिनीरत्न) इस समीक्षा के अन्तर्गत कवर की गई थी **(परिशिष्ट-XV)** भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से सूचना को रिपोर्ट के अन्तिम रूप देने तक प्राप्त नहीं किया था, अत:, इस अध्याय में 51 सीपीएसईज के जेवी का ब्यौरा शामिल है।

6.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जेवी की स्थापना

51 सीपीएसई ने 361 जेवी में शेयर पूंजी के रूप में ₹ 172747 करोड़ रुपये और ऋण, डिबेंचर इत्यादि के रूप में ₹73968.54 करोड़ का निवेश किया है। संयुक्त उद्यमों में कम्पनी अधिनियम और भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत निगमित[61] और अनिगमित[62] दोनों जेवीज शामिल हैं। अभी कुल 234 निगमित तथा 127 अनिगमित जेवीज थे। 58 निगमित जेवीज ने एक से अधिक सीपीएसई ने पूंजी निवेश किया जिसका विवरण परिशिष्ट XVI में है।

उपरोक्त निवेश में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो एक मिनीरत्न कंपनी है तथा ओएनजीसी की सहायक कम्पनी है, उसने 31 मार्च 2017 को ₹ 121965.45 करोड़ का निवेश 11 निगमित तथा 25 अनिगमित जेवीज में किया। 11 निगमित जेवीज में ₹ 22305.74 करोड़ तथा 25 अनिगमित जेवीज में ₹ 99659.71 करोड़ का निवेश किया। 11 निगमित जेवीज के ₹ 22305.74 करोड़ के निवेश के विरूध, ओवीएल का 31 मार्च

---

[61] *निगमित जेवी ऐसी ईकाईया है जो या तो कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा भारतीय सहभागी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।*

[62] *अनिगमित जेवी वे ईकाईया है जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति कारोबार कर रहे है लेकिन किसी भी अधिनिमय के तहत पंजीकृत नहीं है।*

2017 को रिजर्व तथा सरप्लस में ₹ 4719.09 करोड़ का हिस्सा था जोकि कुल निवेश का 21.15 प्रतिशत।

6.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारे निष्कर्ष उत्तरगामी पैराग्राफो में दर्शाए गये है:

6.7.1 संयुक्त उद्यमों की योजना/गठन

जेवी सहयोगियों का चयन

डीपीई कांज़ा सं. 11(32)/96-वित्त दिनाँक जनवरी 2000 के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि

(i) सहयोगियों का चयन और इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और ऐसे सभी प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) कम से कम दो पार्ट टाईम गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की बैठक में उपस्थित होना चाहिए जिसमें जेवी के गठन के लिए प्रस्ताव मूल्यांकन किया गया था।

(iii) बोर्ड को अपने जेवी के योगदान के अनुपात में प्रबंधन और परिचालन में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।

सीपीएसईज ने अपने जेवी सहयोगियों को (i) सरकार के निर्देशों के अनुसार (ii)खुली निविदा माध्यम से,(iii)स्वयं सीपीएसईज द्वारा पहचाने गये कुछ भावी सहयोगियों में विकल्प के माध्यम से (iv)एकल पार्टी हेतु नामित आधार पर चयन किया है। आगे, कुछ मामलों में, सीपीएसईज ने पहले से मौजूद जेवी में निवेश किया। 292 निगमित जेवी में से, इस संबंध में 251 जेवी के लिए सूचना उपलब्ध थी। इन 251 जेवी में से, 84 जेवी में जेवी सहयोगियों का चयन सरकार के निर्देशानुसार था, 19 जेवी में खुली निविदा द्वारा, 75 जेवी में सीपीएसईज द्वारा पहचाने गये कुछ भावी सहयोगियों से विकल्प के माध्यम से, 49 जेवी में नामित आधार पर और 24 मामलों में सीवीएसई पहले से मौजूद जेवी द्वारा निवेश किया गया था।

इन जेवी का विवरण **परिशिष्ट-XVII** में दिया गया है।

i) कम संख्या में गैर अधिकारिक निदेशकों की उपस्थिति

डीपीई दिशानिर्देश बोर्ड बैठक में गैर अधिकारिक निदेशकों की कम से कम दो उपस्थितियों की अपेक्षा करता है। जहाँ जेवी के गठन के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया था, निम्नलिखित चार सीपीएसईज के मामले में दिशानिर्देशों का पालन नहीं

किया गया:

क्र. सं.	सीपीएसईज का नाम	जेवी कम्पनी का नाम	संयुक्त उद्यम के गठन के लिए गठित बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी निदेशकों की संख्या
1.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कं. लि.	0
2.	एसजेवीएन लिमिटेड	बंगाल बीरभूम कोल फील्ड्स लिमिटेड	0**
3.	एनटीपीसी	एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी लिमिटेड	0**
		एनटीपीसी तमिलनाडु ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	1
		रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड	1**
		एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1
		नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	1
4.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड	1

** भारत सरकार द्वारा गैर अधिकारिक निदेशक की नियुक्ति ना करने के कारण

ii) जेवी के प्रबंधन और परिचालन का प्रतिनिधित्व

डीपीई दिशा निर्देश के अनुसार, बोर्ड को इसके योगदान के अनुपात में इसके जेवी के प्रबंधन और परिचालन में उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए। लेखा परीक्षा ने पाया कि 3 सीपीएसईज के संबंध में, जेवी करार के अनुसार जेवी के प्रबंधन और परिचालन में सीपीसीई का प्रतिनिधित्व नही था जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	सीपीएसईज का नाम	जेवी कम्पनी का नाम	% योगदान	जेवी में निदेशकों की कुल सं.	जेवी करार के अनुसार अपेक्षित प्रतिनिधित्व	वास्तविक प्रतिनिधित्व
1.	मंझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	मंझगाव डॉक पीवाव डिफेन्स प्रा. लिमिटेड	50	7	3	2
2.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	एलबैट्रोस पोर्ट प्रा. लिमिटेड	49	7	3	2
3.	रेल विकास निगम लिमिटेड	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड	50	15	6	4
		हरिदासपुर पारादीप रेलवे कम्पनी लिमिटेड	35.23	12	5	3
		अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	31.50	12	3	2

6.7.2 जेवी परिचालनों का कार्यान्वयन

अर्द्धवार्षिक आधार पर डीपीई के लिए जेवी की स्थिति का अप्रस्तुतीकरण

डीपीई ने यह निर्धारित किया (जनवरी 2000) कि नवरत्न सीपीएसईज गठित जेवी की एक व्यापक सूची और उसकी स्थिति अर्द्धवार्षिक आधार पर डीपीई को प्रस्तुत करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी महारत्न/नवरत्न सीपीएसईज[63] ने इन दिशानिर्देशों (**परिशिष्ट-XVIII** के अनुसार विवरण) का अनुपालन नहीं किया।

6.7.3 जेवी का प्रदर्शन

शामिल किऐ गऐ 234 जेवी में से (i) 76 जेवी लाभ अर्जित कर रहे थे (ii) 64 जेवी लगातार घाटे में थे और (iii) 18 जेवी ने केवल 2016-17 में लाभ अर्जित किया लेकिन हानि संचित की। शेष 76 जेवी के संबंध में, सीपीएसईज से जानकारी अभी प्राप्त की जानी हैं। जेवी के वित्तीय प्रदर्शन का वर्णन निम्नलिखित अनुच्छेदो में किया गया है।

क) लाभ अर्जित करने वाले जेवी

उपरोक्त पैरा 6.7.3 में वर्णित 76 जेवी ने ₹ 11762.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 31 मार्च 2017 तक प्रतिधारित आय ₹ 49138.60 करोड़ थी। प्रतिधारित आय की प्रमात्रा के अनुसार जेवी का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

रेंज	जेवी की संख्या	प्रतिधारित आय
₹ 1000 करोड़ से अधिक	9	39687.26
₹ 100 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक	22	8360.74
₹ 100 करोड़ से कम	45	1090.60
कुल	**76**	**49138.60**

लाभ अर्जित करने वाले जेवी के विवरण **परिशिष्ट-XIX** में तालिकाबद्ध किये गये है।

ख) हानि उठाने वाले जेवी

उपरोक्त पैरा 6.7.3 (ii) में वर्णित 64 जेवी के संबंध में 31 मार्च 2017 को संचित हानियां ₹ 16106.65 करोड़ थी। हानि की प्रमाण के अनुसार जेवी का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

---

[63] इस संबंध में पीएफसी और एमटीएनएल ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

(₹ करोड़ में)

रेंज	जेवी की संख्या	संचित हानियां
₹ 1000 करोड़ से अधिक	4	11709.97
₹ 100 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक	10	3980.90
₹ 100 करोड़ से कम	50	415.78
कुल	**64**	**16106.65**

हानि अर्जित करने वाले जेवी के विवरण **परिशिष्ट -XX** में तालिकाबद्ध है।

उपरोक्त 6.7.3 (iii) में वर्णित हानि 18 जेवी के संबंध में संचित हानि जिनसे वर्ष 2016-17 में लाभ अर्जित हुआ ₹ 2319.97 करोड़ के लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जेवी कम्पनी	2016-17 के दौरान लाभ	31 मार्च 2017 को संचित हानि	जेवी में महारत्न/ नवरत्न/ मिनीरत्न सीपीएसईज का हिस्सा
1	आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	56.84	677.04	आईओसीएल 49.25%
2	भारतीय सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	78.04	318.14	आईओसीएल 50%,
3	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	0.88	264.20	आईओसीएल 50%
4	ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लिमिटेड	0.73	0.88	कॉनकॉर 49%
5	भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी 3	8.24	91.45	एसीआई 26%
6	सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लिमिटेड	0.0015	0.06	एसीआई 50%
7	कृष्णापत्तनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड	0.08	21.28	आरवीएनएल 30%
8	लाईफ स्प्रिंग अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड	0.05	16.78	एचएलएल लॉईफकेयर 50%
9	इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लिमिटेड	0.12	82.30	इरकॉन 50%
10	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	197.94	233.57	एनटीपीसी 50%
11	ट्रांसफॉर्मरस और इलेक्ट्रिकल्स केरला लिमिटेड	3.07	20.65	एनटीपीसी 44.60%
12	हॉलबिट एविऑनिक्स लिमिटेड	0.02	10.02	एचएएल 50%
13	इन्फोटेक एचएएल लिमिटेड	1.02	0.67	एचएएल 50%

14	हैटसौफ हेलीकाप्टर ट्रैनिंग लिमिटेड	10.46	110.64	एचएएल 50%
15	प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड	4.12	1.75	सेल 26%
16	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	2.92	9.92	आईटीपीओ 50%
17	हरिदासपुर परादीप रेलवे कम्पनी लिमिटेड	0.01	0.02	आरवीएनएल-35.23%
18	एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड	3090.60	460.60	एचपीसीएल
			2319.97	

6.7.4 बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना और प्रारंभिक मार्ग दर्शन अध्ययन के बिना जेवी का निर्माण

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार जेवी/ सहायक के निर्माण का प्रस्ताव निदेशक मंडल के पास जोखिम कारकों ओर प्रत्याशित परिणाम और लाभ के विश्लेषण के साथ उचित समय पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) ने जेवी के निर्माण (8 अक्टूबर 2008) नामत: भारतीय तेल क्रेडा जैव-ईंधन लिमिटेड (आईओसीबीएल) का छत्तीसगढ़ अक्षय उर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) के साथ जाट्रोफा संयंत्र से जैविक ईंधन निकालने तथा उत्पादन करने के लिए ₹ 5.27 करोड़ के आरंभिक निवेश (जो कि बाद में ₹ 18.45 करोड़ हो गया) के साथ आरंभ किया गया। जिस लिए निदेशक मंडल से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। तथापि, 31 अक्टूबर 2008 को कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त बोर्ड के पास प्रस्ताव करने से पूर्व परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रारंभिक मार्ग दर्शक अध्ययन नहीं संचालित किया गया।

जैसा कि बोर्ड को प्रबंधन ने सूचित किया (जून 2016), रोपण तथा रखरखाव की उच्च लागत, खराब पैदावार, लंबी सगर्भता अवधि तथा उच्च पौध नश्वरता के कारण जैव-ईंधन की यह परियोजना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो गई। खराब प्रदर्शन के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने ₹ 18.45 करोड़ के समूचे निवेश को निष्फल घोषित करते हुए जेवी को बंद करने की स्वीकृति (जुलाई 2016) दे दी।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि जैव-ईंधन व्यवसाय अवसर की हानि से बचने हेतु आईओसीबीएल प्रारंभिक मार्ग-दर्शन अध्ययन के बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति तथा बिना तकनीकी अनुभव के बनाया गया था।

6.7.5 विदेशी ई एंड पी परियोजनाओं के लिए सीसीईए स्वीकृति प्राप्त न करना

क) दिनांक 8 जुलाई 1997 के मंत्रीमंडल निदेशों के अनुपालन में, ई एंड पी परियोजनाओं के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी जेवी/ कूटनीतिक गठबंधनों में शामिल होने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को अनुमत करने ₹ 300 करोड़ या यूएसडी 75 मिलियन की अधिकतम सीमा, दोनों में से जो भी कम हो, के निवेश वाली ई एंड पी परियोजनाओं को डीपीई (2005) विशेषाधिकार प्राप्त ओपीएल बोर्ड स्वीकृति प्रदान करेगा। ₹ 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त सचिव समिति (सीसीईए) से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अपनी मूल कम्पनी नामत: ओएनजीसी लिमि., को महारत्न स्टेटस के विस्तारण के पश्चात, ओवीएल ने कोल्म्बिया, ब्राजील, क्यूबा तथा वियतनाम में अपनी सात[64] विदेशी ईएंडपी परियोजनाओं के संबंध में ₹ 7537.07 करोड़ की निवेश स्वीकृति आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की अपेक्षा ओएनजीसी से प्राप्त की जबकि प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 300 करोड़ से अधिक निवेश किया गया था।

प्रबधंन ने बताया (दिसम्बर 2017) कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार महारत्न कम्पनी के रूप में सशक्त होने के पश्चात ओएनजीसी अपनी अनुषंगी के माध्यम से संयुक्त उद्यम में निवेश कर सकती है तथा इसलिए ओएनजीसी बोर्ड से इसकी स्वीकृति ली गई। इसके अतिरिक्त, ओवीएल ने ओवीएल की परियोजना, जहाँ निवेश मूल रूप से सीसीईए द्वारा स्वीकृत किया जाना था, में निवेश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी पर एमओपीएनजी का मार्गदर्शन लिया था। चूंकि ओवीएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के प्रति एमओपीएनजी से कोई आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त परियोजना के लिए ली गई स्वीकृति उचित है।

प्रबंधन का यह उत्तर निम्नलिखित के मद्देनज़र स्वीकार्य नहीं है:

1. उपरोक्त परियोजना में निवेश का निर्णय ओवीएल का था और इस प्रकार उक्त परियोजना में निवेश को स्वीकृति देने की शक्ति ओएनजीसी नहीं रखती। इसके अतिरक्त ओवीएल को लागू विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, ये जेवी में केवल ₹ 300 करोड़ का निवेश कर सकती है, इससे अधिक के लिए सीसीईए की स्वीकृति आवश्यक है।

---

[64] *आसी 9, 10 और सीपीओ-5 (कोलम्बिया), बीएमआर-1, तथा बीएम-सील-4, (ब्राजील), 25 से 29 तथा 36 (क्यूबा) ब्लॉक 06.1 वियतनाम*

2. सीसीईए से स्वीकृति की अपेक्षा ओएनजीसी बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने की ओवीएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।

ख) ब्राज़ील में एक अन्य परियोजना नामत: ब्लॉक बीसी-10 में, तीन भागीदार थे अर्थात: मै. एक्सॉन (30 *प्रतिशत*), मै. शैल (35 *प्रतिशत*) तथा मै. पेट्रोब्रास (35 *प्रतिशत*) सीसीईए की स्वीकृति के पश्चात ओवीएल ने यूएसडी 410 मिलियन[65] पर मै. एक्सॉन से 15 प्रतिशत सहभागी ब्याज अर्जित किया। इसके बाद यूएसडी 478 मिलियन तक परियोजना लागत के विस्तारण पर, ओवीएल ने पुन: सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया। इसके पश्चात, उसी ब्लॉक वर्ष में ओवीएल ने यूएस$ 561 (₹ 3702.76 करोड़[66]) पर मै. पैट्रोबास से 12 *प्रतिशत* अतिरिक्त पीआई प्राप्त किया (2013) तथा केवल ओएनजीसी (इसकी होल्डिंग कम्पनी) से स्वीकृति प्राप्त की तथा सीसीईए से स्वीकृति प्राप्त नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि मै. पैट्रोबास का 12 *प्रतिशत* का पीआई का अधिग्रहण वर्ष 2006 में ब्लॉक में 15 *प्रतिशत* के पीआई के अधिग्रहण की तुलना में एक नई निवेश परियोजना के रूप में उपचारित किया गया चूंकि पीआई अधिक्रहण की विधि अलग थी और पीआई विभिन्न विक्रेताओं से अधिग्रहित किऐ गऐ थे ओर इस प्रकार इसे एक पृथक डील माना गया जिसके लिए ओएनजीसी के पास ₹ 5000 करोड़ की निवेश क्षमता है, अत: इसके लिए सीसीईए से स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब भी निवेश ₹ 300 करोड़ से अधिक होगा सीसीईए की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी न तो परियोजना लागत के अर्ध्वागामी सुधार के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है और न ही पीआई की अतिरक्त अधिग्रहण लागत के लिए।

6.8 निष्कर्ष

जेवी के निर्माण के संबंध में डीपीई दिशा-निर्देशों के अन-अनुपालन, बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों की उपस्थिति जहाँ जेवी निर्माण का मूल्यांकन वांछित था, जेवी के प्रबंधन और परिचालन में समुचित प्रतिनिधित्व और छमाही आधार पर डीपीई के लिए जेवी स्टेट्स प्रस्तुतिकरण के मामले देखने में आये। 158 जेवी में से जिनकी जानकारी प्राप्त हुई थी, 76 जेवी लाभ अर्जित कर रहे थे, 64 जेवी लगातार घाटे में थी और 18 जेवी ने केवल वर्ष 2016-17 में लाभ अर्जित किया किंतु हानि भी संचित की।

---

[65] यूएस $ 165 मिलियन अधिग्रहण लागत के रूप में तथा यूएस$ 245 मिलियन परियोजना लागत के रूप में।

[66] यूएसडी 561 मिलियन @66.0028 (30.12.2013)

6.9 संस्तुति

भारत सरकार जेवी के निर्माण तथा जेवी के प्रबंधन और परिचालन में प्रस्तुतिकरण के संबंध में डीपीई दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पर दबाव डाल सकती है। संबंधित सीपीएसईज का निदेशक मंडल डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

डीपीई भारी उद्योग के सार्वजनिक उद्यमो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की उपर्युक्त सिफारिशों (मार्च 2018) को स्वीकार कर लिया।